भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**304**

दिनांक 4 फरवरी 2020 के लिए प्रश्न

एफआईडीएफ के अंतर्गत समझौता ज्ञापन

304. डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) तमिलनाडु के लिए इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में इस समझौता ज्ञापन के द्वारा संभावित रूप से किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(च) निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्यमंत्री :

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) to (च): जी हाँ, महोदय। मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफ.आई.डी.एफ) के कार्यान्वयन हेतु (i) तमिल नाडु सरकार (ii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और (iii) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । राज्य में तीन मत्स्यन बंदरगाहों (i) नागपट्टनम जिले में थरंगमपडी (ii) तिरुवल्लूर जिले में थिरुवोट्टरियूर कुप्पम और (iii) कुड्डालोर जिले में मुधुनगर के विकास हेतु नाबार्ड से आरंभिक रियायती वित्त की सुविधा प्राप्त करने के लिए तमिल नाडु सरकार ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । नाबार्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने तमिल नाडु के तिरुवल्लूर, कुड्डालोर और नागपट्टनम जिले में मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए क्रमशः रु 150 करोड़, रु 108 करोड़ और रु 90 करोड़ के सावधि ऋण हेतु तीन प्रस्तावों की स्वीकृति दी है । तमिल नाडु सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर उपरोक्त मत्स्यन बंदरगाह निर्माण संबंधी परियोजना का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है ।

*****